न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 04/2020 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. भंवरसिंह पिता ईश्वरसिंह, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. नटवरसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा के पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर भवानीसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भवानीसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. सज्जनसिंह पिता ईश्वरसिंह, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा के पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर दलपतसिंह पिता सज्जनसिंह, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती जस कुंवर पत्नी ईश्वरसिंह, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. अर्जुनसिंह पिता गुलाबसिंह, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के बजाय :–

1/1. मोहनसिंह पिता अर्जुनसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. नरेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. भोपालसिंह पिता अर्जुनसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/4. शक्तिसिंह पिता अर्जुनसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/5. श्रीमती मैना कुंवर पुत्री अर्जुनसिंह पत्नी प्रहलाद सिंह राजपूत, निवासी अमरदीप कॉलोनी, बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/6. श्रीमती पेप कुंवर पत्नी अर्जुनसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी उदाजी का गढ़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:33 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, घाटोल दिनांक
27.12.2017 प्रकरण संख्या 56/2016
———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रे.सं. 1/1, 1/2
———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 27–06–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मृतक अर्जुनसिंह ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 244 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि ग्राम उदा जी का गढा में स्थित होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु विधिवत विभाजन नहीं होने से भूमि के विकास एवं बैंक से ऋण लेने हेतु विभाजन कराना आवश्यक है। अतः उक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–12–2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–08–2020 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट की भूमि पर अ[illegible] अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर बेदखल करने की धमकी दी, [illegible] डिक्री की जानकारी हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh
Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:33 IST
Reason: SelfAttested

जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। विवादित आराजी नंबर 244 रकबा 0.08 बिस्वा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम अवैध रूप से दर्ज हुई है एवं इस भूमि बाबत् वादी ने अपीलान्टगण के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था, जिसके प्रकरण संख्या 9/2009 निर्णय दिनांक 04–06–2014 में पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज हुआ है, जिसकी अपील अपीलान्टगण द्वारा माननीय न्यायालय में की गयी जो वर्तमान में विचाराधीन होकर दिनांक 27–01–2015 को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये हैं। रेस्पोन्डेन्ट/वादी को उक्त तथ्यों को छुपाते हुए विभाजन की डिक्री प्राप्त कर ली है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी नंबर 244 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के सहखातेदार में दर्ज है एवं नामान्तरकरण संख्या 343/08–08–2014 से उपखण्ड अधिकारी की डिक्री की पालना में उक्त भूमि में अपीलान्टगण के साथ वादी/रेस्पोन्डेन्ट का नाम जोड़ा गया है। वादी विवादित आराजी नंबर 244 रकबा 0.08 हैक्टर [illegible] है एवं सहखातेदार को अपनी सहखातेदारी की भूमि [illegible]क अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh
Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:33 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने भी वादी/रेस्पोन्डेन्ट को विवादित आराजी का सहखातेदार होने के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 27–12–2017 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:33 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

भंवरसिंह पिता ईश्वरसिंह राजपूत, निवासी उदा जी का गढा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	अर्जुनसिंह के बजाय मोहनसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपूत, निवासी उदा जी का गढा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.......04/2020...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....घाटोल........... मुकाम................मुवर्खे.............27..............माह..............12............2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........27....माह........06....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री जयेन्द्र पुरोहित.....मिनजानिब अपीलान्ट व........श्री यशपाल गुप्ता

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 27–12–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......27.......माह.......06..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:33 IST
Reason: SelfAttested